प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.09.2025

थाना मसूरी, सिहानीगेट व कविनगर क्षेत्र के व्यापारियों से रंगदारी मांगने वाला अनिल दुजाना गिरोह का कुख्यात 50,000 रूपये का ईनामी अपराधी बलराम पुत्र श्याम सिंह निवासी रोगन थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर पुलिस मुठभेड में ढेर।

- दिनांक 16.09.2025 को थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर **मु0अ0सं0 300/2025 अन्तर्गत धारा 308(2),140(2),352,351(4) बी0एन0एस0** पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग में वादी द्वारा अंकित कराया गया कि उसका ट्रांसपोर्ट का काम है। दिनांक 09.07.2025 को एक अज्ञात नम्बर द्वारा व्हाट्अप कॉल पर 25 लाख रूपये की रंगदारी मांगी गयी थी। जिसे न देने पर गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गयी थी। कॉल करने वाले व्यक्ति द्वारा अपना नाम कुख्यात माफिया अनिल दुजाना का गुरू बलराम बताया गया। वादी द्वारा उक्त कॉल पर ध्यान न देने पर दिनांक 13.07.2025 को एक सफेद रंग की बुलेरो व काली स्कार्पियो एन में आये 8-10 लोगों द्वारा कार्बाइन व पिस्टल दिखाकर अपहरण कर ले गये और दुजाना गांव में बंधक बना लिया। वादी द्वारा लगभग 02 लाख रूपये व 15 तोले के आभूषण देने के बाद उसे छोडा गया। इसके बाद लगातार उक्त नम्बर से बलराम नाम के व्यक्ति द्वारा लगातार कॉल करके पैसो की मांग की जा रही थी और न देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी।
- दिनांक 17.09.2025 को थाना सिहानीगेट क्षेत्रान्तर्गत एक मिष्ठान व्यापारी को पुनः उसी मोबाइल नम्बर से व्हाट्सअप कॉल कर अपना नाम बलराम बताकर 50 लाख रूपये की रंगदारी मांगी गयी तथा न देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त के सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पर **मु0अ0सं0 310/2025 धारा 308(4), 352 बी0एन0एस0** विरूद्ध बलराम पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 17.09.2025 को ही थाना कविनगर क्षेत्रान्तर्गत लोहामण्डी के एक व्यापारी को भी उसी मोबाइल नम्बर से व्हाट्सअप कॉल कर 25 लाख रूपये की रंगदारी मांगी गयी जिससे न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर **मु0अ0सं0 877/2025 धारा 308(2), 351(2) बी0एन0एस0** पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उक्त घटनाओं के अनावरण व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस उपायुक्त-अपराध कमिश्नरेट गाजियाबाद के नेतृत्व में स्वाट टीम क्राइम ब्रांच को लगाया गया। **संकलित साक्ष्यों के आधार पर उक्त नम्बर का प्रयोग बलराम पुत्र श्याम सिंह निवासी रोगन थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा किया जाना पाया गया।**

बलराम उपरोक्त कुख्यात माफिया अनिल दुजाना के गिरोह का सक्रिय सदस्य है। अनिल दुजाना के पुलिस मुठभेड में मारे जाने के बाद उक्त गिरोह की कमान बलराम द्वारा ही संचालित की जा रही है। **बलराम एक पेशेवर अपराधी है, जिसके विरूद्ध लगभग 03 दर्जन मुकदमें लूट, हत्या, रंगदारी, डकैती, गैंगस्टर आदि के दर्ज है। बलराम थाना जहांगीराबाद का मजारिया हिस्ट्रीशीटर है, जिसका हिस्ट्रीशीट क्रमांक 103ए है। अपर पुलिस आयुक्त, अपराध/मुख्यालय कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अभियुक्त बलराम उपरोक्त पर 50,000 रूपये का पुरूस्कार भी घोषित किया गया है।**

घटना क्रम (दिनांक 20.09.2025)

आज दिनांक 20.09.2025 को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्त बलराम उपरोक्त थाना वेव सिटी क्षेत्र में डासना के आस-पास अपने साथियों के साथ दिल्ली नम्बर ग्रे बलैनो कार में देखा गया है जो सम्भवतः किसी घटना को कारित के उद्देश्य से आया हुआ है। इस सूचना पर अपर पुलिस उपायुक्त-अपराध के नेतृत्व में स्वाट टीम द्वारा डासना के आस-पास घेराबन्दी की गयी। समय करीब 19.50 बजे डासना रघुनाथपुर रोड पर पैरीफेरल अण्डरपास के निकट कच्चे रास्ते पर डासना की ओर से एक ग्रे बलैनो कार आती दिखाई दी। टॉर्च व गाडी की रोशनी में चेतावनी देते हुए बलैनो कार को रोकने का इशारा किया गया परन्तु बदमाशों द्वारा गाडी को रोककर व गाडी से उतरकर पुलिस टीम पर सीधे फायर किये गये। उक्त फायरिंग में अपर पुलिस उपायुक्त-अपराध पीयूष सिंह तथा स्वाट प्रभारी निरीक्षक अनिल राजपूत के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी तथा अन्य तीन पुलिसकर्मी बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गये। अन्य कोई विकल्प न बचने पर पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल होकर गिर गया। इसके गिरते ही अन्य बदमाश वहां से फरार हो गये जिनकी कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश के पास जाकर देखने पर बदमाश की पहचान बलराम पुत्र श्याम सिंह निवासी रोगन थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर हुई, जिसे उपचार हेतु तत्काल अस्पताल रवाना किया गया, जहॉ उपचार के दौरान घायल बदमाश बलराम की मृत्यु हो गयी।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद् बलैनो कार ग्रे कलर
2. एक अदद् पिस्टल PX- 3 .30 बोर Made in China।
3. एक अदद् इंग्लिश रिवाल्वर .45 बोर
4. एक अदद् पिस्टल .30 बोर
5. कारतूस जिन्दा .30 बोर -09 व कारतूस .45 बोर-03
6. खोखा कारतूस .30 बोर -19
7. खोखा कारतूस .45 बोर-03
8. एक अदद् बी0पी0 जैकेट (अभियुक्त की कार की डिग्गी से बरामद)
9. एक अदद् मोबाइल फोन जिससे व्हाट्सअप कॉल कर तीनों घटनाओं में रंगदारी मांगी गयी थी।
10. नगदी 10,350 रूपये

अभियुक्त बलराम का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 371/1997 धारा 302,201 भादंवि थाना क्वार्सी अलीगढ़, उ०प्र०।

2. मु0अ0सं0 49/1997 धारा 392 भादंवि थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।

3. मु0अ0सं0 66/1997 धारा 392 भादंवि थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।

4. मु0अ0सं0 93/1997 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।

5. मु0अ0सं0/1997 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।

6. मु0अ0सं0 372/1997 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना क्वार्सी अलीगढ़ उ०प्र०।

7. मु0अ0सं0 127/1997 धारा 110 जी एक्ट थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।

8. मु0अ0सं0 111/1999 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।

9. मु0अ0सं0 238/1999 धारा 392,506,423 भादंवि थाना अनूपशहर बुलन्दशहर उ०प्र०।

10. मु0अ0सं0 304/1999 धारा 392 भादंवि थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर उ0प्र)।

11. मु0अ0सं0 92/2000 धारा 395,397,412,120बी भादवि थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर उ०प्र०।

12. मु0अ0सं0 259/2000 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।

13. मु0अ0सं0 490/2000 धारा 394 भादंवि थाना सिकन्दराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।

14. मु0अ0सं0 99/2002 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ0प्र0।

15. मु0अ0सं0 214/2006 धारा 386 भादंवि व 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना शाहाबाद, रामपुर, उ०प्र०।

16. मु0अ0सं0 276/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर, उ०प्र०।

17. मु0अ0सं0 77/2011 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।

18. मु0अ0सं0 593/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर, उ0प्र01

19. मु0अ0सं0 333/2013 धारा 147,148,149,302,506,34,307,386,120बी भादंवि थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।
20. मु०अ०सं० 132/2013 धारा 392 भादवि थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।

21. मु०अ०सं० 586/2013 धारा 302 भादंवि थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ0प्र0)

22. मु0अ0सं0 429/2013 धारा 394,386 भादंवि थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।

23. मु0अ0सं0 370/2013 धारा 364,504,506 भादवि थाना जहागीराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।

24. मु0अ0सं0 17/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।

25. मु0अ0सं0 164/2014 धारा 109,386 भादवि थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।

26. मु0अ0सं0 723/2014 धारा 386 भादंवि थाना जहांगीहाबाद बुलन्दशहर उ0प्र01

27. मु०अ०सं० 160/2015 धारा 307,384,120बी भादवि थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।

28. मु०अ०सं० 358/2015 धारा 147,148,149,302,506,34,195,120बी भादवि थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उ०प्र०।

29. मु०अ०सं० 13/2015 धारा 147,148,149,302,506,34,307,386, 120बी भादवि थाना जहांगीराबाद बलन्दशहर उ०प्र०।

30. मु०अ०सं० 149/2015 धारा 147,148,149,307,427,506 भादवि थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर उप

31. मु०अ०सं० 457/2019 धारा 2(बी) 1.2(बी) 3,2 (बी) 4,2(बी) 7.2 (बी) 11.2(बी) 12,3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर उ०प्र०।

32. मु०अ०सं० 0877/2025 धारा 308(2)/351(2) बीएनएस थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उ0प्र0

33. मु०अ०सं० 0310/2025 धारा 352/308 (4) बीएनएम थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद उ0प्र0

34. मु०अं0सं० 0300/2025 धारा 308(2)/140(2)/352/351(4) बीएनएम थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद उ०प्र०।

उपरोक्त मुठभेड के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र मे चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले अन्तर्राज्जीय गिरोह के 02 शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा , 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस व चोरी की 02 कार फार्च्यूनर व स्विफ्ट (बिना नम्बर प्लेट लगी) बरामद।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरण

आज दिनांक 21.09.2025 को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि जुलाई 2025 में रासा होटल वसुन्धरा सेक्टर 03 के पास से चोरी की गई फोर्चूनर लीजेण्डर को चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय सदस्य 02 चोर बिना नम्बर प्लेट की अलग अलग गाड़ियों से जिनमें एक गाडी उपरोक्त रासा होटल वसुन्धरा सेक्टर 03 के पास से चोरी की हुई फोर्चूनर लीजेण्डर कार है तथा एक सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट लगी कार है, को लेकर हिण्डन वसुन्धरा सेक्टर 01 से दिल्ली की ओर जाने वाले है व उनके पास अवैध असलाह भी है। इस सूचना पर यकीन कर थाना इन्दिरापुरम पुलिस सैक्टर-1 वसुन्धरा टी प्वाइंट पर चेकिंग के दौरान 02 चार पहिया गाडी आती हुई दिखाई दी पुलिस पार्टी द्वारा उन दोनो कार को रोकने का इशारा किया गया तो वह दोनों कार नही रुकी तथा दोनो कार सवार बैरियरों मे टक्कर मारते हुये तेज गति से दाहिने मोड़कर वसुन्धरा सेक्टर 02ए ग्राउण्ड की ओर कच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर भागने लगे। जिनका पीछा किए जाने पर एक वाहन चालक ने पीछा कर रही पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी और आगे रास्ता बंद होने पर गाडी से उतर कर भागने लगे। अपने आप को घिरता देख फार्च्यूनर से उतर कर भाग रहे चालक द्वारा पुनः पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फार्च्यूनर सवार ड्राईवर राशिद काला पुत्र शौकीन के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। अभियुक्त को घायल अवस्था में हिरासत पुलिस लेकर उपचार हेतु तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया तथा दुसरे ड्राईवर को सिखलाए गए तरीके से घेर घोटकर हिरासत पुलिस मे लिया गया। आगे की आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त मुजाहिद अल्वी व राशिद काला से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम दोनों कार चोरी करते हैं और चोरी की गयी कारों को अन्य राज्यों में अच्छा ग्राहक मिलने पर बेंच देते है। जो फार्चूनर कार हमसे बरामद हुई है उसको हम दोनों ने मिलकर जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में रासा होटल के पास चोरी किया था तथा दूसरी स्विफ्ट कार हम लोगो ने दिल्ली विकासपुरी से 02-03 दिन पहले चोरी किया था। आज हम दोनो इन दोनो चोरी की गाडियों को सुरक्षित स्थान पर खडी करने जा रहे थे कि आपने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. मुजाहिद अल्वी पुत्र वाहिद अल्वी निवासी- गली नं0-4 शिव मन्दिर के पास मौहल्ला मोमीन नगर थाना लिसाडी गेट मेरठ उम्र करीब 23 वर्ष।

2. राशिद काला पुत्र शौकीन निवासी-समर गार्डन 60 फुटा रोड एक मीनार मस्जिद के पास चौकी वाली गली थाना लिसाडी गेट उम्र करीब 33 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

* चोरी की 02 कार फोर्चूनर लीजेण्डर व स्विफ्ट बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

* गिरफ्तार अभियुक्त मुजाहिद अल्वी पुत्र वाहिद अल्वी के विरुद्ध चोरी से सम्बन्धित गाजियाबाद, मेरठ दिल्ली मे 08 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

* गिरफ्तार अभियुक्त राशिद काला पुत्र शौकीन के विरूद्ध गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्धनगर दिल्ली आदि मे चोरी लूट व पुलिस मुठभेढ़ व आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर के कुल 19 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 14.09.2025 को वादी द्वारा थाना लोनी पर नामजद प्रार्थना-पत्र दिया गया कि मेरी पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को एक लड़का उम्र करीब 16 वर्ष बहला फुसलाकर ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वादी की पुत्री व बाल अपचारी की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा वादी की पुत्री को दिनांक 20.09.2025 को बरामद किया गया। आज दिनांक 21.09.2025 को उपरोक्त अभियोग में वांछित बाल अपचारी को थाना लोनी के चौकी क्षेत्र कस्बा से अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

बाल अपचारी द्वारा पूछताछ में बताया कि हमारे घर आस-पास है और वह मेरे घर पर आती जाती रहती थी। एक दिन मौका पाकर मैं उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

बाल अपचारी के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम –

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार तथा चोरी के आभूषण बरामद।

दिनांक 08.09.2025 को वादिया द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तहरीर दी गई कि 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिया से सब्जी खरीदकर घर आते समय पता पूछने के बहाने बहला फुसलाकर व अपनी बातो में उलझाकर धोखाधडी करके गहने(कुन्डल, लोकेट, पाजेब) ले जाना, इस सूचना के आधार पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 303(2)/318(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर उक्त माल की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया तथा घटना स्थल के आस पास सीसीटीवी कैमरों को चैक किया गया एवं मैनुअल इन्पुटस के आधार पर उक्त घटना का सफल अनावरण करने हेतु अभियुक्तगण की तलाश शुरू की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 20.09.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त (1) मासूम अली उर्फ कौआ पुत्र रिजवान निवासी ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जपनद हापुड़ उम्र 35 वर्ष (2) साजिद पुत्र आजूब निवासी ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जनपद हापुड़ उम्र करीब 38 वर्ष को चित्रावन सोसायटी के कट के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित चोरी का 01 मंगलसूत्र मय लोकेट(पीली धातु) जो मोतियों की माला में जडा है व 02 अंगूठी (रंगीन नग लगी हुयी) सफेद धातु व 01 जोडी पाजेब सफेद धातु व 02 अंगूठी सफेद धातु जिसमें भिन्न-भिन्न रंगों के नग जडे हैं बरामद। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हम दोनों आपस में जीजा-साले है, हम दोनों राह चलती महिलाओं को बहकाकर उनके घर गृहस्थी/बीमारी आदि के बारे में तरह तरह की बाते बताकर उनका संकट दूर करने का भरोसा दिलाकर उन्हे अपने विश्वास में ले लेते है तथा उनके पहने हुये आभूषणों को उतरवाकर मंत्रो उच्चारण टोना टोटका आदि का बहाना देकर महिलाओं को 50 मीटर सामने सीधे जाना/पीछे मुड़कर न देखना आदि बाते बनाकर उनके आभूषणों को चोरी करके भाग जाते है।। हम दोनों के पास जो आभूषण है, यह हम दोनों ने कुछ दिनों पहले बाजार में घूम रही एक महिला को अपनी बातो में उलझाकर उसका संकट काटने व बीमारी ठीक करने की बाते बताकर धोखाधड़ी करके उतरवा लिये थे तथा मौका लगते ही चोरी करके भाग गये थे तथा बताया कि उस महिला से मिले सामान में से हमने कानों के कुंडलो को अपनी जरुरत बताकर मसूरी में एक चलते फिरते व्यक्ति को बेच दिया था जिसे हम नही जानते जिससे मिले पैसे हमने बराबर बराबर बांट लिये थे जो हमने अपनी जरुरत के कार्यो

व शौक में खर्च कर दिये थे व बचे सामान को हमने कई बार बेचने की कोशिश की लेकिन बेच नही पाये तथा बरामदा सफेद धातु की नग लगी हुयी अंगूठियों के बारे में बताया कि महिलाओं से गहने उतरवाने के बाद इस अंगूठी को उन्हें कष्ट काटने वाली बेसकीमती अंगूठी बताकर दे देते है। अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ के दौरान पूर्व में NCR क्षेत्र में भी इस तरह की अन्य घटनाएं भी करना बताया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता–

1. मासूम अली उर्फ कौआ पुत्र रिजवान निवासी ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जपनद हापुड़ उम्र 35 वर्ष
2. साजिद पुत्र आजूब निवासी ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जनपद हापुड़ उम्र करीब 38 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

(1) 01 मंगलसूत्र मय लोकेट(पीली धातु) जो मोतियों की माला में जडा है
(2) 02 अंगूठी (रंगीन नग लगी हुयी) सफेद धातु
(3) 01 जोडी पाजेब सफेद धातु
(4) 02 अंगूठी सफेद धातु जिसमें भिन्न-भिन्न रंगों के नग जडे हैं

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र मे चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले अन्तर्राज्जीय गिरोह के 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस व चोरी की हुई 02 कार (फॉर्च्यूनर व स्विफ्ट) बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 02.07.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी मुकेश पुत्र श्री स्व0 राजेश्वर राय निवासी 277 सेक्टर 1 वसुन्धरा की लिखित तहरीर दी और बताया कि रासा होटल वसुन्धरा सेक्टर 03 के पास से मेरी फॉर्च्यूनर लीजेण्डर कार किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी है। जिसके क्रम में थाना इन्दिरापुरम पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 21.09.2025 को स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस, मैनुअल इनपुट के आधार पर चेकिंग के दौरान हुई मुठभेढ़ में 02 अभियुक्त 1. मुजाहिद अल्वी पुत्र वाहिद अल्वी निवासी- गली नं0-4 शिव मन्दिर के पास मौहल्ला मोमीन नगर थाना लिसाडी गेट मेरठ उम्र करीब 23 वर्ष व 2. राशिद काला पुत्र शौकीन निवासी समर गार्डन 60 फुटा रोड़ एक मीनार मस्जिद के पास चौकी वाली गली थाना लिसाडी गेट मेरठ उम्र करीब 33 वर्ष(घायल अवस्था में) को 01 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस व चोरी की हुई 02 कार (फॉर्च्यूनर व स्विफ्ट) सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त मुजाहिद अल्वी पुत्र वाहिद अल्वी व राशिद काला पुत्र शौकीन उपरोक्त

के विरुद्ध के धारा 109(1), 317(2), 317(5), 3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त मुजाहिद अल्वी व राशिद काला उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त उपरोक्त से बरामद दोनों कार फार्च्यूनर व स्विफ्ट को अलग-अलग जगह क्रमशः फार्च्यूनर को दोनों ने मिलकर जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में रासा होटल के पास चोरी किया था तथा दूसरी स्विफ्ट कार हम लोगों ने दिल्ली विकासपुरी से 02-03 दिन पहले चोरी किया था। आज दोनों अभियुक्त उपरोक्त बरामद दोनों चोरी की हुई कारों को सुरक्षित स्थान पर खडी करने जा रहे थे कि पुलिस ने पुलिस मुठभेढ़ के दौरान दोनों अभियुक्त राशिद काला पुत्र शौकीन(घायल अवस्था में) व अभियुक्त मुजाहिद अल्वी पुत्र वाहिद अल्वी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया और अधिक पूछताछ में बताया कि हम दोनों कार चोरी करते हैं और चोरी की गयी कारों को अन्य राज्यों में बेंच देते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. मुजाहिद अल्वी पुत्र वाहिद अल्वी निवासी- गली नं0-4 शिव मन्दिर के पास मौहल्ला मोमीन नगर थाना लिसाडी गेट मेरठ उम्र करीब 23 वर्ष।
2. राशिद काला पुत्र शौकीन निवासी समर गार्डन 60 फुटा रोड़ एक मीनार मस्जिद के पास चौकी वाली गली थाना लिसाडी गेट मेरठ उम्र करीब 33 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस व चोरी की हुई 02 कार (फॉर्च्यूनर व स्विफ्ट) बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त मुजाहिद अल्वी पुत्र वाहिद अल्वी के विरुद्ध चोरी व लूट से सम्बन्धित गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली में 08 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त राशिद काला पुत्र शौकीन के विरूद्ध गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, दिल्ली आदि में वाहन चोरी, लूट, पुलिस मुठभेढ़, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर आदि से सम्बन्धित कुल 19 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

स्वाट टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा अपहर्त की हत्या की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से हत्या में प्रयुक्त ईंट व खूनालूदा मिट्टी, कपड़ा बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 18.09.2025 को थाना खोडा पर वादिया का लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 16/09/2025 को घर से बिना बताये चले जाने को लेकर वादिया के पुत्र लक्ष्य प्रजापति पुत्र मनवीर प्रजापति निवासी शिव पार्क खोडा कॉलोनी

गाजियाबाद उम्र करीब 12 वर्ष की गुमशुदगी के सम्बन्ध में धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अपहर्त लक्ष्य उपरोक्त का सकुशल बरामदगी हेतु टीमें गठित करते हुये थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरा, मैनुअल इनपुट एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर हत्या की घटना जाँच के क्रम में कैमरों में लक्ष्य उपरोक्त एक बाइक के साथ पैदल भागता हुआ तथा ई-रिक्शा पर जाता हुआ दिखायी दिया। लक्ष्य उपरोक्त के जाने के समय आसपास अभियुक्त युवराज बाइक से सभी कैमरों में दिखायी दिया। इसी आधार पर अभियुक्त युवराज से सख्ती से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने वादिया के पुत्र की हत्या करना स्वीकार किया। उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त युवराज उर्फ यश प्रजापति पुत्र ओमवीर निवासी शिव पार्क खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही राजधानी इन्कलेव पार्किंग के पीछे पार्क से अपहर्त का शव व हत्या में प्रयुक्त ईंट एवं खूनालूदा मिट्टी, कपड़ा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 137(2) बीएनएस में धारा 103(1) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त युवराज उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं 12 वीं पास हूँ तथा केबिन क्रूज का डिप्लोमा किया गया तथा तकनीकी जानकारी है। मैने अपने चाचा (मनवीर प्रजापति) के प्रगाति विहार स्थित 25 गज के मकान का सौदा 25 लाख रुपये में कराया था एवम एडवांस के रुप में अपने चाचा को 03 लाख रुपये दिलाये थे। उन 03 लाख रुपये को मैने अपने चाचा मनवीर प्रजापति से उधार ले लिये थे। जिसे मैंने बिटकाइन में निवेश कर दिया था। उधार रुपये में से मेरे चाचा द्वारा 50 रुपये हजार रुपये बार-बार मांगे रहे थे जबकि मैने सारे पैसे निवेश कर दिये थे। मेरे पास पैसे नही थे। मेरे चाचा मेरे और मेरे परिवार पर बहुत विश्वास करते थे तथा उनके दो बच्चे एक बेटा एक बेटी है। मैने सोचा कि यदि मेरे चाचा का बेटा लक्ष्य प्रजापति का हत्या कर दूँ तो मुझे पैसे वापस नहीं करने होगे और चाचा की सारी सम्पत्ति का वारिस बन जाऊंगा। इसी उद्देश्य से मैने दिनांक 16/09/2025 को मैं अपने चाचा मनवीर के घर से रुपये डालने के बहाने से चाचा की बैक पासबुक एटीएम कार्ड ले लिया था और इसी बीच मैने लक्ष्य से मूवी देखने के लिए मेरे साथ चलने को मना लिया था। मैने उसी दिन को V3S मॉल लक्ष्मी नगर दिल्ली में INFINITY CASTALE मूवी नाइट शो के लिए मेरे मित्र ने 03 टिकट बुक किये थे तथा एक टिकट अलग से बाद में मैने लक्ष्य को दिखाने के लिए बुक किया था। मैने रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों को पहले ही देख लिया था इसलिए जब मैं दिनांक 16/09/2025 को अपने चाचा के लड़के लक्ष्य को लेकर बाइक पर जा रहा था तो कैमरों से बचने के लिए कुछ दूरी पहले पर बाइक से उतार कर आगे मिलने के लिए बोल देता था। लक्ष्य कैमरे से आगे मिलता था फिर मैं उसको बाइक पर बैठा लेता था ऐसा करते-करते मैं उसे पार्क लक्ष्मी नगर में ले गया था। मुझे पूर्व में जानकारी थी कि उस पार्क में भीड़ नहीं रहती है। मैं लक्ष्य को लेकर वहाँ पहुँचा तब तक मेरे चाचा का फोन आ गया और वह गुस्से में पैसे वापस मांगने लगे तो मैने राजधानी इन्कलेव पार्किंग के पीछे पार्क में अकेले का फायदा उठाकर सुनसान स्थान पर लक्ष्य की गला दबाकर हत्या कर दी और पहचान न हो सके इसलिए ईंट मारकर उसका चेहरा कुचल दिया था तथा शव में वहीं छोड़कर मूवी देखनें चला गया था। घर जब मै आया तो मुझे जानकारी हुयी की मेरी चाची बबीता ने थाने पर मुकदमा लिखवा दिया है तथा मैं अपनी चाची और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लक्ष्य की तलाश उनके साथ कराता रहा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

युवराज उर्फ यश प्रजापति पुत्र ओमवीर निवासी शिव पार्क खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- हत्या में प्रयुक्त ईंट व खूनाआलूदा मिट्टी, कपड़ा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 1,83,000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 08.09.2025 को साइबर सेल थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका के साथ हुए ऑनलाइन इन्टरनेट बैंकिंग के नाम पर ठगी के सम्बन्ध में NCRP पोर्टल पर धनराशि 1,83,000/- रूपये की शिकायत प्राप्त हुई। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में साइबर सेल थाना खोड़ा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये आवेदिका की सम्पूर्ण धनराशि 1,83,000/- रूपये वापस करायी गयी।

कार्यवाही का विवरण

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप दिनांक 08.09.2025 को साइबर सेल थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदिका के साथ ऑनलाइन इन्टरनेट बैंकिंग के नाम पर 1,83,000/- रूपये की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में साइबर सेल थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 20.09.2025 को शिकायतकर्ता के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि 1,83,000/- रूपये को वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना खोड़ा।

थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखे ले जाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध आतिशबाजी पटाखे से भरे 03 कट्टे बरामद।

दिनांक 20.09.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर कार से अवैध आतिशबाजी पटाखे ले जाने वाला 01 अभियुक्त मौ0 ताहिर पुत्र नूरखां निवासी खल्लड वाली गली असालतपुर फर्रूखनगर थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 47 वर्ष को पर पेरिस फार्म हाउस की तरफ जाने वाले कट पर के पास से अवैध आतिशबाजी पटाखे से भरे 03 कट्टे सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 ताहिर पुत्र नूरखां उपरोक्त के विरुद्ध धारा 9B(1)(b) विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 ताहिर पुत्र नूरखां उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त बरामद अवैध आतिशबाजी पटाखों को आगामी त्यौहार के दृष्टिगत आर्थिक लाभ कमाने के लिये बेचन हेतु ले जा रहा था कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मौ0 ताहिर पुत्र नूरखां निवासी खल्लड वाली गली असालतपुर फर्रूखनगर थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 47 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- अवैध आतिशबाजी पटाखे से भरे 03 कट्टे बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 ताहिर पुत्र नूरखां उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड पर विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 20.09.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी की अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल को चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 303(2) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 21.09.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. विनय भारद्वाज पुत्र राजेन्द्र निवासी हापुड सर्राफा बाजार थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड उम्र लगभग 24 वर्ष 2.अभिषेक पुत्र शिव कुमार निवासी प्लाट नं0 44 आवास विकास में नयी बसावट जनपद हापुड उम्र लगभग 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्तगणों ने पूछताछ में अपने जुर्म को स्वीकार करते हुये बताया कि यह मोटरसाइकिल हमने कल दिनांक 20.09.25 को सायं संजीवनी स्टेट कालोनी के पास से चोरी की थी, हम इसे लेकर खरखौदा जनपद मेरठ बेचने जा रहे थे कि पुलिस चैकिंग में पकडे गये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. विनय भारद्वाज पुत्र राजेन्द्र निवासी हापुड सर्राफा बाजार थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड उम्र लगभग 24 वर्ष
2. अभिषेक पुत्र शिव कुमार निवासी प्लाट नं0 44 आवास विकास में नयी बसावट जनपद हापुड उम्र लगभग 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

अपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग –

उक्त मोटरसाइकिल चोरी के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में विगत सप्ताह दिनांक 18.9.2025 को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त हत्या एवं हत्या का प्रयत्न, बलवा करने, गाली गलौच करने, मारपीट कर चोट/गंभीर चोट पहुंचाना, जान से मारने की धमकी देने, लूट/चोरी/झपटमारी करना, अवैध हथियार रखना, जैसे सम्बन्धी आदि अपराधों में लिप्त निम्नलिखित 08 विपक्षी/ अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। निम्नांकि त अभियुक्तों/गुण्डों द्वारा उपरोक्त अपराध शीर्षक में लिप्त होने के उपरान्त जनता में इनका इतना भय व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्व कोई रिपोर्ट पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) हो जाने के उपरान्त आम-जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं शांति पूर्ण माहौल होने का विश्वास पैदा होगा :-

क्र0 सं0	वाद संख्या	थाना	विपक्षी का नाम व पता	आपराधिक इतिहास
1	**639/24**	**मुरादनगर**	**सावेज पुत्र हारूण निवासी सरना कुटी थाना मुरादनगर गाजियाबाद**	1. मु0अ0सं0 68/22 धारा 379,411 भादवि थाना मुरादनगर
				2. मु0अ0सं0 70/22 धारा 411,414,482,34 भादवि थाना मुरादनगर
				3. मु0अ0सं0 321/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मुरादनगर
				4. मु0अ0सं0 73/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर
2	**652/24**	**ट्रोनिका सिटी**	**निखिल उर्फ निक्की उर्फ शिवा पुत्र इन्द्रपाल गुर्जर निवासी रामपार्क एक्सटेंशन थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद**	1. मु0अ0सं0 38/23 धारा 147,148,149,307,323,386,506,507,395 भादवि व 3/25 आम्र्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी
				2. मु0अ0सं0 120/23 धारा 323,395,120बी,34 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
				3. मु0अ0सं0 1375/18 धारा 394,397,411 भादवि थाना लोनी
				4. मु0अ0सं0 962/22 धारा 307,411,414 भादवि थाना लोनी
				5. मु0अ0सं0 963/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना लोनी
				6. मु0अ0सं0 552/18 धारा 392,411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
				7. मु0अ0सं0 572/18 धारा 307,482,411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
				8. मु0अ0सं0 120/23 धारा 120बी,323,34,395,411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
				9. मु0अ0सं0 141/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी
				10. मु0अ0सं0 574/18 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी
				11. मु0अ0सं0 505/18 धारा 392,411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
				12. मु0अ0सं0 1086/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी
				13. मु0अ0सं0 340/19 धारा 395,397,412 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
				14. मु0अ0सं0 352/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी
				15. मु0अ0सं0 527/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी
				16. मु0अ0सं0 490/21 धारा 392,411,120बी भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
				17. मु0अ0सं0 530/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी

				18. मु0अ0सं0 529/21 धारा 411,414,120बी भादवि थाना ट्रोनिका सिटी 19. मु0अ0सं0 193/23 धारा 392,411,504 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी 20. मु0अ0सं0 285/21 धारा 394 भादवि थाना खेकडा बागपत 21. मु0अ0सं0 260/21 धारा 379,411 भादवि थाना खेकडा बागपत
3	**659/24**	**लिंक रोड**	**सत्यभान पुत्र महेन्द्र निवासी सरकारी स्कूल के सामने वाली गली गांव साहिबाबाद थाना लिंकरोड गाजियाबाद**	1. मु0अ0सं0 431/23 धारा 414 भादवि थाना लिंकरोड 2. मु0अ0सं0 415/23 धारा 394,307,411 भादवि थाना लिंकरोड 3. मु0अ0सं0 428/23 धारा 392,411 भादवि थाना लिंकरोड 4. मु0अ0सं0 474/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लिंकरोड 5. मु0अ0सं0 214/24 धारा 379,411 भादवि थाना लिंकरोड
4	**665/24**	**खोडा**	**अंकित कुमार पुत्र अमर कुमार,निवासी सरकारी स्कूल के पास पीतम बैंकट संगम पार्क खोडा कालोनी थाना खोडा, जनपद गाजियाबाद**	1. मु0अ0सं0 166/23 धारा 452,323,504,506 भादवि थाना खोडा, 2. मु0अ0सं0 370/23 धारा 147,452,323,325,504 भादवि थाना खोडा,
5	**20/25**	**नन्दग्राम**	**सौरभ गोस्वामी पुत्र राधेश्याम निवासी म0नं0 152 गली नं0 9 नूरनगर सिहानी थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष**	1. मु0अ0सं0 209/2024 धारा 392/511 भादवि थाना नन्दग्राम,, 2. मु0अ0सं0 880/2024 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना नन्दग्राम, 3. मु0अ0सं0 931/2024 धारा 303(2)317(2) बीएनएस थाना नन्दग्राम, 4. मु0अ0सं0 958/2024 धारा 303(2)317(2) बीएनएस थाना नन्दग्राम, 5. मु0अ0सं0 971/2024 धारा 317(5) बीएनएस थाना नन्दग्राम,
6	**84/25**	**शालीमार गार्डन**	**शाहिद आफरीदी पुत्र लियाकत अली निवासी बी-23 निकट कब्रिस्तान वाली गली शालीमार गार्डन, थाना शालीमार गार्डन, कमिश्नरेट गाजियाबाद**	1. मु0अ0सं0 1591/22 धारा 392,411 भादवि थाना साहिबाबाद, 2. मु0अ0सं0 1746/22 धारा 307 भादवि थाना साहिबाबाद, 3. मु0अ0सं0 1747/22 धारा 414,482 भादवि थाना साहिबाबाद, 4. मु0अ0सं0 2042/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद 5. मु0अ0सं0 2041/18 धारा 414,482 भादवि थाना साहिबाबाद 6. मु0अ0सं0 1907/18 धारा 392 भादवि थाना साहिबाबाद 7. मु0अ0सं0 1935/18 धारा 392 भादवि थाना साहिबाबाद 8. मु0अ0सं0 1815/18 धारा 392 भादवि थाना साहिबाबाद 9. मु0अ0सं0 2008/18 धारा 392,411 भादवि थाना साहिबाबाद 10. मु0अ0सं0 233/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना साहिबाबाद 11. मु0अ0सं0 1748/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद 12. मु0अ0सं0 425/21 धारा 379,411 भादवि थाना साहिबाबाद 13. मु0अ0सं0 666/21 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली 14. मु0अ0सं0 1710/22 धारा 392,411 भादवि थाना साहिबाबाद 15. मु0अ0सं0 1357/22 धारा 392 भादवि थाना इन्दिरापुरम
7	**128/25**	**क्रासिंग रिपब्लिक**	**आदित्य उर्फ आदी पुत्र अजय डोमनिक निवासी म0नं0 321 गली नं0 01 कृष्णानगरी बागू थाना क्रासिंग रिपब्लिक, कमिश्नरेट गाजियाबाद**	1. मु0अ0सं0 462/2024 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना क्रासिंग रिपब्लिक, 2. मु0अ0सं0 389/2024 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस थाना क्रासिंग रिपब्लिक, 3. मु0अ0सं0 298/2024 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना क्रासिंग रिपब्लिक,
8	**172/25**	**नन्दग्राम**	**रवि शर्मा उर्फ कोटला पुत्र दिनेश शर्मा निवासी सद्दीक नगर सिहानी थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद**	1. मु0अ0सं0 1980/17 धारा 302,34 भादवि थाना सिहानीगेट, 2. मु0अ0सं0 391/25 धारा 61(2),115(2),191(2),324(4),351(3),352 बीएनएस थाना नन्दग्राम,

				3. मु0अ0सं0 186/19 धारा 392,411 भादवि थाना सिहानीगेट
				4. मु0अ0सं0 1784/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिहानीगेट

यह भी उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष-2025 में अब तक कुल 108-विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) एवं 64- विपक्षी/अभियुक्तो को स्थानीय थाने में हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान के पाँचवें चरण के अंतर्गत आज कमिश्नरेट गाजियाबाद में महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया गया ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित **मिशन शक्ति अभियान के पाँचवें चरण** के अंतर्गत आज कमिश्नरेट गाजियाबाद में महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा एक **बाइक रैली** का आयोजन किया गया । रैली समय **16:00 बजे पुलिस लाइन्स से आरम्भ होकर सन्तोष मेडिकल से चौधरी मोड से हापुड मोड होते हुए उद्गम स्थल लाइन्स गाजियाबाद पर समाप्त हुई ।**

कमिश्नरेट गाजियाबाद में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला बाइक रैली का आयोजन महिला सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु किया गया ।

बाइक रैली को श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया, उद्गम स्थल पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध, पुलिस उपायुक्त नगर/मुख्यलय, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण/यातायात, पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिण्डन/लाइन्स, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अन्य अधिकरी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

उक्त रैली में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों के अतिरिक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद में नियुक्त समस्त महिला सहायक पुलिस आयुक्त - सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी, सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध, सहायक पुलिस आयुक्त नन्दग्राम, सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद एवं समस्त महिला थाना प्रभारी एवं महिला निरीक्षक/उपनिरीक्षक ने भी प्रतिभाग किया ।

मुख्य बिन्दु-

- रैली की शुरुआत **श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय** द्वारा हरी झण्डी दिखाकर की गई ।
- बाइक रैली में महिला पुलिसकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली ।

- रैली के दौरान **महिला सुरक्षा, सम्मान एवं जागरुकता** से जुड़े संदेशों का प्रचार किया गया।
- रैली के दौरान हेल्पलाइन नंबर, महिला सुरक्षा कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
- रैली में कुल 197 वाहन (189 दो-पहिया एवं 08 चार पहिया) शामिल थे।

उद्देश्य-

- महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना।
- समाज में महिला सुरक्षा को लेकर सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना।
- पुलिस विभाग में कार्यरत महिला अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण को धरातल स्तर पर लागू करना।

यह बाइक रैली शहर की सड़कों पर एक संदेश लेकर निकली— कि महिलाएं अब केवल सुरक्षा की अपेक्षा नहीं करतीं, बल्कि सुरक्षा की गारण्टी भी देती हैं। हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना, महिला बीट अधिकारी की तैनाती, और हेल्पलाइन सेवाओं की सुलभता इस अभियान को जन-जन तक पहुँचा रही हैं।

इस अवसर पर पुलिस विभाग ने यह संदेश दिया कि **"महिलाएं केवल सुरक्षा की प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि सुरक्षा की प्रहरी भी हैं।"**